(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 11/2015–2020
दिनांकः– 14 जून, 2019

विषयः आयात–पूर्व शर्तों के साथ अपंजीकृत स्रोतों से आयात के मामले में अप्रयुक्त शुल्क मुक्त आयातित सामग्री के लिए उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारियों से विध्वंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त करने के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. **प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का मौजूदा पैरा 4.49 (छ) (i) निम्नानुसार पढ़ा जाता है:–**

प्राधिकार पत्र धारक मानदंडों के अनुसार पूर्ण आयतित मात्रा की खपत को दर्शानेवाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यात दायित्व पूरा करने में कमी है और अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकार पत्र धारक के पास है तो प्राधिकार पत्र धारक प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.43 क के अनुसार अप्रयुक्त आयातित मात्रा को उनकी उपस्थिति में विध्वंस करने का प्रमाण देते हुए क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्रमाण पत्र या उस मात्रा का पुनः उसी आपूर्तिकर्ता को निर्यात करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का संशोधित पैरा 4.49 (छ) (i) निम्नानुसार पढ़ा जाता है:–

प्राधिकार पत्र धारक मानदंडों के अनुसार पूर्ण आयतित मात्रा की खपत को दर्शानेवाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यात दायित्व पूरा करने में कमी है और अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकार पत्र धारक के पास है, **तो प्राधिकार पत्र धारक अप्रयुक्त शुल्क मुक्त आयातित सामग्री के विध्वंस के संबंध में सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ एक स्व–घोषणा जिसके साथ–साथ अपंजीकृत स्रोतों से ऐसी आयातित सामग्री को घरेलू बाजार में डाइवर्ट करने, जिसका किसी प्राधिकारी को भविष्य में पता लगता है, के कारण हुई किसी क्षति या हानि के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाला शपथ–सह–क्षतिपूर्ति बंध पत्र हो,** या प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.43 क के अनुसार उस मात्रा का पुनः उसी आपूर्तिकर्ता को निर्यात करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः–** इस सार्वजनिक सूचना द्वारा आयात–पूर्व शर्त के साथ अपंजीकृत स्रोतो से अप्रयुक्त शुल्क मुक्त आयातित सामग्री के लिए उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारियों से विध्वंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/033/एएम20/पीसी–4 से जारी)